भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 5925

सोमवार, 30 मार्च, 2026/9 चैत्र, 1948 (शक)

हिंगोली में कामगारों के लिए रोजगार के अवसर

5925. श्री नागेश बापुराव अष्टिकर पाटिल:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में सीमित औद्योगिक विकास और संगठित क्षेत्र में नौकरियों की कमी के कारण बड़ी संख्या में युवा और कामगार बेरोजगारी और अल्प-रोजगार का सामना कर रहे हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने उक्त जिले में रोजगार सृजन, कौशल विकास और श्रम कल्याण कवरेज के संबंध में कोई मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा उक्त जिले में कामगारों और बेरोजगार युवाओं को सामाजिक सुरक्षा, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कार्यान्वित योजनाओं का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का आजीविका के अवसरों में सुधार के लिए उक्त जिले में नए कौशल विकास केंद्र, श्रम कल्याण कार्यालय स्थापित करने या रोजगार सृजन पहल करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) एवं (घ): रोजगार और बेरोजगारी का आधिकारिक डाटा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) द्वारा एकत्र किया जाता है जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से आयोजित किया जा रहा है।

नवीनतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य में (हिंगोली जिले सहित) 15-29 वर्ष की आयु के युवाओं की सामान्य स्थिति के आधार पर अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) वर्ष 2017-18 में 15.0% से घटकर वर्ष 2023-24 में 10.8% हो गई है और इसी अवधि के दौरान 15-29 वर्ष की आयु के युवाओं का सामान्य स्थिति के आधार पर रोजगार दर्शाने वाला अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) 33.7% से बढ़कर 40.1% हो गया है।

इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र राज्य में सामान्य स्थिति के आधार पर नियमित वेतन/वेतनभोगी कामगारों का प्रतिशत वितरण वर्ष 2017-18 में 28.9% से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 31.3% हो गया है।

इसके अलावा, सितंबर, 2017 और जुलाई, 2025 के बीच कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में 8.23 करोड़ से अधिक शुद्ध अभिदाता शामिल हुए हैं, जो रोजगार में वृद्धि और बाजार के व्यवस्थित होने का संकेत देते हैं। इसके अलावा, देश में वर्ष 2024-25 के दौरान 1.29 करोड़ से अधिक शुद्ध अभिदाता ईपीएफओ में शामिल हुए हैं, जिनमें से 28.62 लाख से अधिक नए अभिदाता महाराष्ट्र राज्य में इसी अवधि के दौरान ईपीएफओ में शामिल हुए हैं।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, सरकार देश भर में (महाराष्ट्र सहित) विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

सरकार कौशल भारत मिशन (एसआईएम) के तहत, देश भर में कौशल विकास केंद्रों/विद्यालयों /महाविद्यालयों/ संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) तथा शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) आदि के तहत कौशल, पुन: कौशल और कौशल संवर्धन प्रशिक्षण का कार्यान्वयन भी कर रही है। एसआईएम का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग जगत से संबंधित कौशल प्रदान करके भविष्य के लिए तैयार करना है। प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार उन्नत आईटीआई (पीएम-सेतु) योजना में देश में उन्नत प्रयोगशालाओं, मशीनों और उद्योग-संरेखित पाठ्यक्रम के साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण की समग्र गुणवत्ता और प्रासंगिकता को बढ़ाने की परिकल्पना की गई है। इस योजना में हब और स्पोक व्यवस्था में 1,000 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमें उद्योग से संबद्ध संशोधित ट्रेडों (पाठ्यक्रमों) और पांच (5) राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) की क्षमता वृद्धि शामिल है, जिसमें इन संस्थानों में कौशल के लिए पांच राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करना शामिल है।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित 10 नई/उभरती प्रौद्योगिकियों में रोजगारपरकता के लिए आईटी कर्मियों की री-स्किलिंग/अप-स्किलिंग के लिए 'फ्यूचर स्किल्स प्राइम' कार्यक्रम शुरू किया है।

विधायी सुधारों के एक हिस्से के रूप में, केंद्रीय क्षेत्र में मौजूदा 29 अधिनियमों को चार संहिताओं अर्थात वेतन संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020 में शामिल

किया गया है। ये संहिताएं दिनांक 21 नवंबर, 2025 से प्रभावी हैं। इन संहिताओं का उद्देश्य सरलीकरण, युक्तिकरण और अनुपालन भार में कमी, फैक्ट्री लाइसेंस और ठेका श्रम लाइसेंस की सीमा बढ़ाने तथा छंटनी, काम से निकालने या बंद करने के लिए पूर्व अनुमति, और स्थायी आदेशों के लिए प्रमाणन आदि के माध्यम से व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देकर प्रत्येक कामगार की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए रोजगार के अवसरों के सृजन में तेजी लाना है;

सरकार विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए, सभी क्षेत्रों में रोज़गार सृजन, रोज़गार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना नामक रोज़गार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को कार्यांवित कर रही है। 99,446 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली इस योजना का उद्देश्य 2 वर्षों की अवधि में देश में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगारों के सृजन को प्रोत्साहित करना है।

इसके अलावा, भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय, राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल चला रहा है, जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि करियर से संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप समाधान है।

*****